

27 अप्रैल 2007 के परिपत्र

बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 में संशोधन

क्र. सं.	27.4.07 के हमारे परिपत्र में संदर्भ	मौजूदा पाठ/सारणी/संदर्भ (मौजूदा पाठ से जो अंश हटाये गये हैं उन्हें मोटे और तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है)	संशोधित पाठ/सारणी (मौजूदा पाठ में जो अंश जोड़े गये हैं उन्हें मोटे और तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है)
1.	पृष्ठ सं. 13 पैरा 4.3.5	अन्य किसी प्रकार का लिखत जो सामान्यतः रिजर्व बैंक समय-समय पर टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए अधिसूचित करता है।	4.3.5 नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखत (आइपीडीआइ) टीयर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक आइपीडीआइ टीयर 2 में शामिल किया जाएगा {देखें अनुबंध I पैरा 1(iii)} नोट : मौजूदा पैराग्राफ सं. 4.3.5, 4.3.6 और 4.3.7 अब क्रमशः 4.3.6, 4.3.7 और 4.3.8 हो जाएगी।
2.	पृष्ठ सं. 15 पैरा 4.4.8	पैरा 4.4.6 के अनुसार घटाए गए निवेशों को छोड़कर निम्न पैरा 4.4.9 में सूचीबद्ध सभी प्रकार के लिखतों, जो अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी किए गए हैं और निवेशिती कंपनी के लिए पूंजी स्तर हेतु पात्र हैं, में किए गए किसी बैंक के सकल निवेश निवेशकर्ता बैंक की पूंजी निधियों (उपर्युक्त समायोजनों के बाद टियर I तथा टियर 2 पूंजी का जोड़) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। इस सीमा से अधिक किया गया निवेश टियर I पूंजी में से 50 प्रतिशत और टियर 2 पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी, पूंजी स्तर के लिए पात्र इक्विटी अथवा लिखतों में किए गए निवेश, जो पूंजी निधियों से नहीं घटाए गए हैं, पर शत-प्रतिशत जोखिम भार अथवा संबद्ध लिखतों के लिए दिए गए श्रेणी निर्धारण को जितना जोखिम भार लागू है उतना जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो वह लागू होगा।	पैरा 4.4.6 के अनुसार घटाए गए निवेशों को छोड़कर निम्न पैरा 4.4.9 में सूचीबद्ध सभी प्रकार के लिखतों में जो निवेशिती बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ प्राथमिक व्यापारियों के पूंजी स्तर के लिए पात्र हैं, किसी बैंक का कुल निवेश निवेशक बैंक की पूंजी निधियों (उपर्युक्त समायोजनों के बाद टियर 1 तथा टियर 2 पूंजी का जोड़) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा से अधिक किया गया निवेश टियर 1 पूंजी में से 50 प्रतिशत और टियर 2 पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी पूंजी स्तर के लिए पात्र इक्विटी अथवा लिखतों में निवेश, जो 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर हैं और इसलिए पूंजी निधियों से नहीं घटाये गये हैं, पर 100 प्रतिशत जोखिम भार अथवा संबद्ध लिखतों के लिए दिए गए श्रेणी निर्धारण को जितना जोखिम भार लागू है उतना जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो वह लागू होगा। (अधिक स्पष्टता के लिए पैराग्राफ के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन किया गया है) जहां तक अनुसूचित बैंकों की इक्विटी अथवा

			<p>पूँजी पात्रता वाले लिखतों में 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर किये गये निवेश का संबंध है, कृपया पैरा 5.6.1 देखें।</p> <p>इसके अलावा, गैर-अनुसूचित बैंकों के मामले में, जहां सीआरएआर/ निवल मालियत नकारात्मक हो गया है, पूँजी पात्रता वाले लिखतों में 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर भी किया गया निवेश पैरा 5.6.1 के अनुसार पूँजी से पूरी तरह घटाया जाएगा।</p>																																																																																
3.	पृष्ठ सं. 16 पैरा 5.2.2	‘राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर शून्य जोखिम भार लागू होगा। राज्य सरकार से गारंटीप्राप्त दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।’	‘राज्य सरकारों को बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष ऋण/ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर, यदि कोई हो तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर शून्य जोखिम भार लागू होगा। राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।’																																																																																
4.	पृष्ठ सं. 17 और 21 सारणी 3 और 7	<table border="1"> <tr> <td>एस एंड पी/ फिच रेटिंग</td> <td>AA A से AA</td> <td>A</td> <td>BBB</td> <td></td> <td>नहीं रेटिंग किया गया</td> </tr> <tr> <td>मूडी का रेटिंग</td> <td>Aaa से Aa</td> <td>A</td> <td>Baa से Ba</td> <td>BB से नीचे से Ba</td> <td>नहीं रेटिंग किया गया</td> </tr> <tr> <td>जोखिम भार</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>150%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AA A से AA	A	BBB		नहीं रेटिंग किया गया	मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	BB से नीचे से Ba	नहीं रेटिंग किया गया	जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%	<table border="1"> <tr> <td>एस एंड पी/ फिच रेटिंग</td> <td>AA A से AA</td> <td>A</td> <td>BBB से BB</td> <td></td> <td>नहीं रेटिंग किया गया</td> </tr> <tr> <td>मूडी का रेटिंग</td> <td>Aaa से Aa</td> <td>A</td> <td>Baa से Ba</td> <td>BB से नीचे से Ba</td> <td>नहीं रेटिंग किया गया</td> </tr> <tr> <td>जोखिम भार</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>150%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AA A से AA	A	BBB से BB		नहीं रेटिंग किया गया	मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	BB से नीचे से Ba	नहीं रेटिंग किया गया	जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%																																												
एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AA A से AA	A	BBB		नहीं रेटिंग किया गया																																																																														
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	BB से नीचे से Ba	नहीं रेटिंग किया गया																																																																														
जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%																																																																														
एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AA A से AA	A	BBB से BB		नहीं रेटिंग किया गया																																																																														
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	BB से नीचे से Ba	नहीं रेटिंग किया गया																																																																														
जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%																																																																														
			चौथे कॉलम की पहली पंक्ति में रेटिंग चिह्न BBB से बदलकर 'BBB से BB' किया गया है।																																																																																
5.	पृष्ठ सं. 18 पैरा 5.6.1	कृपया मौजूदा पैरा 5.6.1 देखें (बैंकों पर दावों से संबंधित प्रावधान)	पैराग्राफ 5.6.1 के संशोधित पाठ के लिए परिशिष्ट-1 देखें।																																																																																
6.	पृष्ठ सं. 20 सारणी . 6 भाग ख	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">अल्पावधि रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> <tr> <th>केअर</th> <th>क्रिसिल</th> <th>फिच</th> <th>इकरा</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पीआर 1+</td> <td>पी 1+</td> <td>एफ 1+</td> <td>ए 1 +</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 1</td> <td>पी 1</td> <td>एफ 1</td> <td>ए 1</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 2</td> <td>पी 2</td> <td>एफ 2</td> <td>ए 2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 3</td> <td>पी 3</td> <td>एफ 3</td> <td>ए 3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 4+पीआर 5</td> <td>पी 4 + पी 5</td> <td>बी, सी, डी</td> <td>ए 4 / ए 5</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार	केअर	क्रिसिल	फिच	इकरा		पीआर 1+	पी 1+	एफ 1+	ए 1 +	20%	पीआर 1	पी 1	एफ 1	ए 1	30%	पीआर 2	पी 2	एफ 2	ए 2	50%	पीआर 3	पी 3	एफ 3	ए 3	100%	पीआर 4+पीआर 5	पी 4 + पी 5	बी, सी, डी	ए 4 / ए 5	150%	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">अल्पावधि रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> <tr> <th>केअर</th> <th>क्रिसिल</th> <th>फिच</th> <th>इकरा</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पीआर 1+</td> <td>पी 1+</td> <td>एफ 1+ (आइएनडी)</td> <td>ए 1 +</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 1</td> <td>पी 1</td> <td>एफ 1 (आइएनडी)</td> <td>ए 1</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 2</td> <td>पी 2</td> <td>एफ 2 (आइएनडी)</td> <td>ए 2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 3</td> <td>पी 3</td> <td>एफ 3 (आइएनडी)</td> <td>ए 3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 4+पीआर 5</td> <td>पी 4 + पी 5</td> <td>एफ 4/एफ 5 (आइएनडी)</td> <td>ए 4 / ए 5</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार	केअर	क्रिसिल	फिच	इकरा		पीआर 1+	पी 1+	एफ 1+ (आइएनडी)	ए 1 +	20%	पीआर 1	पी 1	एफ 1 (आइएनडी)	ए 1	30%	पीआर 2	पी 2	एफ 2 (आइएनडी)	ए 2	50%	पीआर 3	पी 3	एफ 3 (आइएनडी)	ए 3	100%	पीआर 4+पीआर 5	पी 4 + पी 5	एफ 4/एफ 5 (आइएनडी)	ए 4 / ए 5	150%	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%
अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार																																																																															
केअर	क्रिसिल	फिच	इकरा																																																																																
पीआर 1+	पी 1+	एफ 1+	ए 1 +	20%																																																																															
पीआर 1	पी 1	एफ 1	ए 1	30%																																																																															
पीआर 2	पी 2	एफ 2	ए 2	50%																																																																															
पीआर 3	पी 3	एफ 3	ए 3	100%																																																																															
पीआर 4+पीआर 5	पी 4 + पी 5	बी, सी, डी	ए 4 / ए 5	150%																																																																															
रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%																																																																															
अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार																																																																															
केअर	क्रिसिल	फिच	इकरा																																																																																
पीआर 1+	पी 1+	एफ 1+ (आइएनडी)	ए 1 +	20%																																																																															
पीआर 1	पी 1	एफ 1 (आइएनडी)	ए 1	30%																																																																															
पीआर 2	पी 2	एफ 2 (आइएनडी)	ए 2	50%																																																																															
पीआर 3	पी 3	एफ 3 (आइएनडी)	ए 3	100%																																																																															
पीआर 4+पीआर 5	पी 4 + पी 5	एफ 4/एफ 5 (आइएनडी)	ए 4 / ए 5	150%																																																																															
रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%																																																																															
			(तीसरे कॉलम में रेटिंग चिह्न संशोधित किये गये हैं)																																																																																
7.	पृष्ठ सं. 26 पैरा 5.13.3	व्यक्तिगत ऋण तथा क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित उपभोक्ता ऋण पर 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार अथवा काउंटरपार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित उच्चतर जोखिम भार (125 प्रतिशत से	व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित लेकिन शैक्षिक ऋण रहित उपभोक्ता ऋण पर 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार अथवा काउंटरपार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण																																																																																

		अधिक) लागू होगा। तथापि सोने तथा चांदी के गहनों की जमानत पर 1 लाख रुपयों तक के ऋणों पर 50 प्रतिशत का रियायती जोखिम भार लागू होगा।	अपेक्षित उच्चतर जोखिम भार (125 प्रतिशत से अधिक) लागू होगा। तथापि सोने तथा चांदी के गहनों की जमानत पर 1 लाख रुपयों तक के ऋणों पर 50 प्रतिशत का रियायती जोखिम भार लागू होगा। चूंकि सोना और स्वर्ण आभूषण पात्र वित्तीय संपार्श्विक हैं, सोना और स्वर्ण आभूषण द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मामले में काउंटरपार्टी एक्सपोजर की गणना पैरा 7.3 के अनुसार परिपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाएगी। 'जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर मूल्य' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा।
8.	पृष्ठ सं. 31 पैरा 5.15.2 (v) दूसरा बुलेट बिन्दु	'बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रलेखी बिलों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा पुनर्भुनाई किए गए बिल, जिन्हें किसी अन्य बैंक ने स्वीकार किया है, को बैंक पर निधिक दावा समझा जाएगा।'	'अन्य बैंकों द्वारा भुनाये गये प्रलेखी बिलों की पुनर्भुनाई तथा बैंकों द्वारा भुनाये गये बिल जिन्हें किसी अन्य बैंक ने स्वीकार किया है बैंक पर निधिक दावा माना जाएगा।'
9.	पृष्ठ सं. 49 पैरा 7.3.4 (i)	समग्र दृष्टिकोण में संपार्श्विक प्रतिभूति लेते समय बैंकों को संपार्श्विक के प्रभाव को गणना में शामिल करने हेतु काउंटर पार्टी के प्रति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से समायोजित एक्सपोजर की गणना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को काउंटरपार्टी के प्रति एक्सपोजर की राशि तथा काउंटरपार्टी के समर्थन में प्राप्त संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करना होगा ताकि बाजार में घट-बढ़ के कारण दोनों के मूल्य में संभव भावी घट-बढ़ को ध्यान में रखा जाए। इन समायोजनों को 'हेयरकट' कहा जाता है। 'हेयरकट' लागू करने पर एक्सपोजर और संपार्श्विक दोनों में अस्थिरता के समायोजन के बाद की राशि प्राप्त होगी। एक्सपोजर में अस्थिरता के समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह एक्सपोजर से उच्चतर होगी तथा संपार्श्विक में समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह संपार्श्विक से न्यूनतर होगी। यदि लेनदेन के दोनों पक्ष नकदी हो तब ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक्सपोजर के लिए हेयरकट एक प्रीमियम घटक होगा, जबकि संपार्श्विक के लिए हेयरकट डिस्काउंट घटक होगा।	समग्र दृष्टिकोण में संपार्श्विक प्रतिभूति लेते समय बैंकों को संपार्श्विक के प्रभाव को गणना में शामिल करने हेतु काउंटर पार्टी के प्रति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से समायोजित एक्सपोजर की गणना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को काउंटरपार्टी के प्रति एक्सपोजर की राशि तथा काउंटरपार्टी के समर्थन में प्राप्त संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करना होगा ताकि बाजार में घट-बढ़ के कारण दोनों के मूल्य में संभव भावी घट-बढ़ को ध्यान में रखा जाए। इन समायोजनों को 'हेयरकट' कहा जाता है। 'हेयरकट' लागू करने पर एक्सपोजर और संपार्श्विक दोनों में अस्थिरता के समायोजन के बाद की राशि प्राप्त होगी। एक्सपोजर में अस्थिरता के समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह एक्सपोजर से उच्चतर होगी तथा संपार्श्विक में समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह संपार्श्विक से न्यूनतर होगी। यदि लेनदेन के दोनों पक्ष नकदी हो तब ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक्सपोजर के लिए हेयरकट एक प्रीमियम घटक होगा, जबकि संपार्श्विक के लिए हेयरकट डिस्काउंट घटक होगा। यह ध्यान में रखना चाहिए कि 'हेयरकट' लगाने के पीछे प्रयोजन एक्सपोजर और पात्र वित्तीय संपार्श्विकों के मूल्य में अंतर्निहित बाजार आधारित अस्थिरता का आकलन करना है। चूंकि अपने बैंकिंग परिचालनों के

			<p>दौरान बैंकों को हुए ऋण एक्सपोजर का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन नहीं होगा (क्योंकि ऋण वितरण/निवेश 'नकद' लेनदेन होगा) हालांकि पात्र वित्तीय संपार्श्विकों का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा, सारणी 14 में निर्धारित हेयरकट ऋण लेनदेन के मामले में केवल पात्र संपार्श्विक पर लागू होगा, बैंक के ऋण एक्सपोजर पर नहीं।</p> <p>दूसरी ओर, रिपो जैसे लेनदेन के कारण बैंक को होनेवाले एक्सपोजर पर अस्थिरता के लिए ऊर्ध्वमुखी समायोजन करना आवश्यक होगा, क्योंकि रिपो लेनदेन में बेची गयी/ उधार दी गयी/बंधक रखी गयी प्रतिभूति का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा। अतः, ऐसे एक्सपोजर पर हेयरकट लागू होगा।</p>																																																																																
10.	पृष्ठ सं. 44 सारणी - 13	<p>सारणी 13 : देशी रेटिंग एजेन्सियों की अल्पावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">अल्पावधि रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> <th colspan="4">अल्पावधि रेटिंग</th> <th>जोखिम भार</th> </tr> <tr> <th>केयर</th> <th>क्रिसिल</th> <th>फिच</th> <th>इकरा</th> <th></th> <th>केयर</th> <th>क्रिसिल</th> <th>फिच</th> <th>इकरा</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पीआर 1 +</td> <td>पी 1 +</td> <td>एफ 1 +</td> <td>ए 1 +</td> <td>20%</td> <td>पीआर 1 +</td> <td>पी 1 +</td> <td>एफ 1 + (आइएनडी)</td> <td>ए 1 +</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 1</td> <td>पी 1</td> <td>एफ 1</td> <td>ए 1</td> <td>30%</td> <td>पीआर 1</td> <td>पी 1</td> <td>एफ 1 (आइएनडी)</td> <td>ए 1</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 2</td> <td>पी 2</td> <td>एफ 2</td> <td>ए 2</td> <td>50%</td> <td>पीआर 2</td> <td>पी 2</td> <td>एफ 2 (आइएनडी)</td> <td>ए 2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 3</td> <td>पी 3</td> <td>एफ 3</td> <td>ए 3</td> <td>100%</td> <td>पीआर 3</td> <td>पी 3</td> <td>एफ 3 (आइएनडी)</td> <td>ए 3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>पीआर 4 एवं पीआर 5</td> <td>पी 4 एवं पी 5</td> <td>बी, सी, डी</td> <td>ए 4 / ए 5</td> <td>150%</td> <td>पीआर 4 एवं पीआर 5</td> <td>पी 4 एवं पी 5</td> <td>एफ 4/ एफ 5 (आइएनडी)</td> <td>ए 4 / ए 5</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>100%</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>रेटिंग नहीं</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>तीसरे कॉलम में रेटिंग चिह्न सशोधित किये गये हैं।</p>	अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार	अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार	केयर	क्रिसिल	फिच	इकरा		केयर	क्रिसिल	फिच	इकरा		पीआर 1 +	पी 1 +	एफ 1 +	ए 1 +	20%	पीआर 1 +	पी 1 +	एफ 1 + (आइएनडी)	ए 1 +	20%	पीआर 1	पी 1	एफ 1	ए 1	30%	पीआर 1	पी 1	एफ 1 (आइएनडी)	ए 1	30%	पीआर 2	पी 2	एफ 2	ए 2	50%	पीआर 2	पी 2	एफ 2 (आइएनडी)	ए 2	50%	पीआर 3	पी 3	एफ 3	ए 3	100%	पीआर 3	पी 3	एफ 3 (आइएनडी)	ए 3	100%	पीआर 4 एवं पीआर 5	पी 4 एवं पी 5	बी, सी, डी	ए 4 / ए 5	150%	पीआर 4 एवं पीआर 5	पी 4 एवं पी 5	एफ 4/ एफ 5 (आइएनडी)	ए 4 / ए 5	150%	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%	<p>सारणी 13 : देशी रेटिंग एजेन्सियों की अल्पावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग</p>
अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार	अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार																																																																										
केयर	क्रिसिल	फिच	इकरा		केयर	क्रिसिल	फिच	इकरा																																																																											
पीआर 1 +	पी 1 +	एफ 1 +	ए 1 +	20%	पीआर 1 +	पी 1 +	एफ 1 + (आइएनडी)	ए 1 +	20%																																																																										
पीआर 1	पी 1	एफ 1	ए 1	30%	पीआर 1	पी 1	एफ 1 (आइएनडी)	ए 1	30%																																																																										
पीआर 2	पी 2	एफ 2	ए 2	50%	पीआर 2	पी 2	एफ 2 (आइएनडी)	ए 2	50%																																																																										
पीआर 3	पी 3	एफ 3	ए 3	100%	पीआर 3	पी 3	एफ 3 (आइएनडी)	ए 3	100%																																																																										
पीआर 4 एवं पीआर 5	पी 4 एवं पी 5	बी, सी, डी	ए 4 / ए 5	150%	पीआर 4 एवं पीआर 5	पी 4 एवं पी 5	एफ 4/ एफ 5 (आइएनडी)	ए 4 / ए 5	150%																																																																										
रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%																																																																										
11.	पृष्ठ सं. 51 पैरा 7.3.5 (viii) और (ix)	<p>(viii) इक्विटी (परिवर्तनीय बांडो सहित), जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं तथा बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 'बीएसई-सेन्सेक्स' और 'बीएसई-200' तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 'एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी' और 'ज्युनियर निफ्टी' सूचकांकों में तथा बैंक के परिचालन के अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य सूचकांक में शामिल हैं।</p>	<p>मौजूदा पैरा सं. 7.3.5 (ix) को नयी संख्या 7.3.5 (viii) दी गयी है।</p>																																																																																

12.	पृष्ठ सं. 52 पैरा 7.3.7	मौजूदा पैरा में 11 उप-पैरा अर्थात् [7.3.7(i) से (xi)] हैं।	मौजूदा पैरा 7.3.7 की जगह परिशिष्ट-2 में दी गयी सामग्री रहेगी।
13.	पृष्ठ सं. 54	शून्य	‘रिपो/रिवर्स रिपो जैसी लेनदेन के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा’ शीर्षक नया पैरा सं. 7.3.8 जोड़ा जाएगा। पैरा 7.3.8 के पाठ के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।
14.	पृष्ठ सं. 57 पैरा 7.6.1	जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए परिपक्वता विसंगति तब होती है जब किसी संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता आधारभूत एक्सपोजर की परिपक्वता से कम है। जहां परिपक्वता विसंगति है और सीआरएम की मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम है वहां सीआरएम को पूंजी प्रयोजनों से मान्यता नहीं दी जाती है। अन्य मामलों में जहां परिपक्वता विसंगति है, वहां नीचे पैराग्राफ 7.6.2 से 7.6.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए सीआरएम को आंशिक मान्यता दी जाती है।	जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए परिपक्वता विसंगति तब होती है जब किसी संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता आधारभूत एक्सपोजर की परिपक्वता से कम है। जहां परिपक्वता विसंगति है और सीआरएम की मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम है वहां सीआरएम को पूंजी प्रयोजनों से मान्यता नहीं दी जाती है। अन्य मामलों में जहां परिपक्वता विसंगति है, वहां नीचे पैराग्राफ 7.6.2 से 7.6.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए सीआरएम को आंशिक मान्यता दी जाती है। ‘उन ऋणों के मामले में जिनका संपार्श्विक बैंक की अपनी जमाराशियां ही हैं, उस स्थिति में भी जब जमाराशियों की अवधि तीन महीने से कम हो, अथवा ऋण की अवधि की तुलना में जमाराशियों की परिपक्वता में विसंगति हो, संपार्श्विक को अमान्य ठहराने से संबंधित पैरा 7.6.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे बशर्ते जमाकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) से ऐसी जमाराशियों की परिपक्वता राशि को बकाया ऋण राशि के बदले समायोजित करने अथवा आधारभूत ऋण की पूर्ण चुकौती तक ऐसी जमाराशियों के नवीकरण के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त की गयी हो।’
15.	पृष्ठ सं. 59 और 60	प्रारंभ में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार वैश्विक आधार पर बैंकों पर लागू होगा। बाद में यह उन सभी समूहों पर लागू होगा जहां पर नियंत्रक संस्था बैंक है।	पैरा 8.2.2 हटा दिया गया है। पैरा 8.2.3 और 8.2.4 अब क्रमशः पैरा 8.2.2 और 8.2.3 होंगे।
16.	पृष्ठ सं. 60 से 63	कृपया मौजूदा पैरा 8.31 से 8.36 देखें (ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की माप)	कृपया संशोधित पैराग्राफों के पाठ के लिए परिशिष्ट-4 देखें।
17.	पृष्ठ सं. 66 पैरा 8.4.1	ट्रेडिंग बही में इक्विटी धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। इसे इक्विटी के समान बाजार प्रवृत्ति दर्शाने वाले सभी लिखतों पर	ईक्विटी पर पूंजी प्रभार बैंक की ट्रेडिंग बही में उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। ट्रेडिंग बही में इक्विटी धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम को कवर करने के

		लागू किया जाएगा लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम अपेक्षाओं द्वारा कवर किया जाता है) पर नहीं। कवर किए जाने वाले लिखतों में मताधिकार वाले अथवा मताधिकार रहित इक्विटी शेयर, इक्विटी जैसी प्रवृत्ति वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरणार्थ, म्युच्युअल फंड के यूनिट, तथा इक्विटी को खरीदने अथवा बेचने की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।	उनमें पोजिशन्स लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। इसे इक्विटी के समान बाजार प्रवृत्ति दर्शाने वाले सभी लिखतों पर लागू किया जाएगा लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम अपेक्षाओं द्वारा कवर किया जाता है) पर नहीं। कवर किए जाने वाले लिखतों में मताधिकार वाले अथवा मताधिकार रहित इक्विटी शेयर, इक्विटी जैसी प्रवृत्ति वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरणार्थ, म्युच्युअल फंड के यूनिट, तथा इक्विटी को खरीदने अथवा बेचने की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।
18.	अनुबंध - 4 पृष्ठ सं. 99	कृपया परिपत्र का पृष्ठ 118 देखें ।	संशोधित पाठ के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें ।

19. विविध संशोधन

क) सारणी सं. 8 (पृष्ठ सं. 29) का शीर्षक 'ऋण परिवर्तन गुणक-तुलनपत्रेतर मदे' के बजाय '**ऋण परिवर्तन गुणक - गैर-बाजार से संबद्ध तुलनपत्रेतर मदे**' होगा ।

ख) पृष्ठ 30 पर सारणी सं. 8 के क्रम सं. 7 पर जिन लिखतों का उल्लेख किया गया है उन्हें 'नोट निर्गमन सुविधा तथा परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं' के बजाय '**नोट निर्गमन सुविधाएं तथा परिक्रामी/ अपरिक्रामी हामीदारी सुविधाएं**' कहा जाएगा ।

ग) पृष्ठ सं. 36 पर पैरा 5.16.2 में 'वसूल' की जगह '**निर्धारण**' शब्द पढ़ा जाए ।

घ) पृष्ठ सं. 38 पर सारणी 10 और 11 में पहले कालम की दूसरी पंक्ति में 'जोखिम भार' की जगह '**प्रवर्तकों को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार**' पढ़ा जाए ।

ड) 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र के निम्नलिखित अंश में '**सारणी - 12/13**' का जो संदर्भ दिया गया है उसे बदलकर निम्नानुसार पढ़ा जाए -

क) पृष्ठ सं. 63 - पैरा 8.3.8 (ii) और iii में '**सारणी - 17**'

ख) पृष्ठ सं. 63 - पैरा 8.3.8 (v) में '**सारणी - 18**'

ग) अनुबंध 5 पृष्ठ सं. 102 - पैरा 2(क) - अन्तिम वाक्य में '**सारणी - 17**'

घ) अनुबंध 5 पृष्ठ सं. 106 - पैरा आ II (क) 5 (तीसरी पंक्ति) में '**सारणी - 17**'

ड) अनुबंध 5 पृष्ठ सं. 108 - पैरा 9 (दूसरी पंक्ति) में '**सारणी - 17**'

च) '**इस परिपत्र के पैरा 8 के**' शब्दों को नीचे जोड़ा जाए -

क) अनुबंध 5 पृष्ठ सं. 103 - पैरा आ 2 में अन्तिम वाक्य में 'खंड ख तथा खंड घ' के पहले ।

ख) अनुबंध 5 पृष्ठ सं. 105 के पैरा आ II(क)4 में पहले वाक्य में 'खंड ख- घ' के पहले ।

27 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.01.006/2006-07

के पैराग्राफ 5.6.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

उद्धरण आरंभ :

5.6 बैंकों पर दावे

5.6.1 भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर उपर्युक्त पैरा 4.4.6 तथा पैरा 4.4.8 में उल्लिखित दावों, जिन्हें पूंजी से घटाया जाता है, को छोड़कर अन्य दावों पर निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा :

सारणी 4 : भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर दावे

निवेशिती बैंक के सीआरएआर का स्तर (प्रतिशत में) (जहां उपलब्ध हो)	जोखिम प्रभार			
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)	
	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
9 तथा उससे अधिक	100 प्रतिशत से उच्चतर अथवा रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार	20	100 प्रतिशत से उच्चतर अथवा रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार	100
6 से < 9	150	50	250	150
3 से < 6	250	100	350	250
0 से < 3	350	150	625	350
ऋणात्मक	625	625	पूरी कटौती	625

टिप्पणियां

- उन बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित नहीं किया है, उधारदाता/निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करके आनुमानिक आधार पर संबंधित सहकारी बैंक के सीआरएआर की गणना कर सकता है। यदि ऐसे आनुमानिक आधार पर सीआरएआर की गणना करना संभव नहीं हो तो निवेशक बैंक के संपूर्ण एक्सपोजर पर निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 350 अथवा 625 प्रतिशत का जोखिम भार एक समान रूप से लगाया जाए।
- उन बैंकों के मामले में जहां पूंजी पर्याप्तता मानदंड वर्तमान में लागू नहीं होते हैं वहां उनके पूंजी-पात्रता वाले लिखतों में निवेश का अभी प्रश्न नहीं उठेगा। तथापि, यदि वे भविष्य में ऐसे कोई पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें निवेश करने के लिए अन्य बैंक पात्र है तो उपर्युक्त सारणी के स्तंभ 2 तथा 4 उन पर लागू होंगे।

उद्धरण समाप्त

परिशिष्ट - 2
(अनुबंध की क्रम सं. 12 देखें)

27 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.01.006/2006-07 के पैरा 7.3.7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

उद्धरण आरंभ :

7.3.7 हेयरकट्स

(i) सिद्धांततः बैंकों के पास हेयरकट की गणना करने की दो पद्धतियां हैं : (i) बासेल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट, तथा (ii) बाजार कीमतों की अस्थिरता के बारे में बैंक के अपने आंतरिक अनुमानों का उपयोग करते हुए स्वयं-अनुमानित हेयरकट। एक्सपोजर तथा संपार्श्विक दोनों के लिए भारत में कार्यरत बैंक केवल मानक पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करेंगे।

(ii) प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किये गये मानक पर्यवेक्षी हेयर कट (बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन, मार्जिन का दैनिक पुनर्निर्धारण तथा 10 कारोबारी दिन की धारण अवधि मानते हुए),¹⁵ निम्नानुसार होंगे :

सारणी - 14 सम्प्रभु (सोवरेन) तथा अन्य प्रतिभूतियां, जिनमें एक्सपोजर तथा संपार्श्विक शामिल हैं, के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

	ऋण प्रतिभूतियों के लिए निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष में)	हेयरकट (प्रतिशत में)
क	भारत सरकार द्वारा जारी /गारंटीकृत तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां (सम्प्रभु प्रतिभूतियां)		
	i	रेटिंग लागू नहीं है - क्योंकि भारत में संप्रति सरकारी प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं की जाती है	= 1 वर्ष
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम
			5 वर्ष से अधिक
ख	भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त मद सं. क में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य देशी ऋण प्रतिभूतियां		
	ii	एए से एए पीआर 1/पी1 /एफ1/ए1	= 1 वर्ष
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम
			5 वर्ष से अधिक
	iii	ए से बीबीबी पीआर2/पी2/एफ2/ए2; पीआर3/पी3/एफ3/ए3 तथा परिपत्र के पैरा 7.3.5 (vii) में विनिर्दिष्ट रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	= 1 वर्ष
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम
5 वर्ष से अधिक			
vi	म्युच्युअल फंड के यूनिट	उपर्युक्त में से जिस किसी भी प्रतिभूति में पात्र म्युच्युअल फंड {(देखें पैरा 7.3.5 (viii))} निवेश कर सकता है उस पर लागू उच्चतम हेयरकट	
ग	उसी मुद्रा में नकद		0

iii) सारणी 14 में निर्दिष्ट रेटिंग देशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी केंद्र सरकारों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोजर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर निम्नानुसार हेयरकट निर्धारित किया जाए :

¹⁵ संपार्श्विक के मूल्य की वसूली के लिए सामान्यतः बैंक को जितनी अवधि चाहिए, उसे धारण अवधि कहा जाता है।

**सारणी - 15 : उन एक्सपोजरों तथा संपार्श्विकों के लिए मानक पर्यवेक्षी
हेयरकट जो विदेशी केंद्र सरकारों /विदेशी कंपनियों के दायित्व हैं**

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	सम्प्रभु	अन्य निर्गम
एएए से एए /ए - 1	= 1 वर्ष	0.5	1
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	2	4
	5 वर्ष से अधिक	4	8
ए से बीबीबी / ए -2/ए-3/पी - 3 तथा रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	= 1 वर्ष	1	2
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	3	6
	5 वर्ष से अधिक	6	12

iv) सम्प्रभु में भारतीय रिजर्व बैंक, डीआइसीजीसी तथा सीजीटीएसआइ शामिल हैं, जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं ।

v) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, बीमा पालिसियों का अभ्यर्पण मूल्य तथा बैंक की अपनी जमाराशियों के रूप में पात्र संपार्श्विक के लिए बैंक शून्य हेयरकट लागू करें ।

vi) जहां एक्सपोजर तथा संपार्श्विक अलग-अलग मुद्राओं में अंकित किए गए हैं ऐसी मुद्रा जोखिम के लिए मानकीकृत पर्यवेक्षी हेयरकट 8 प्रतिशत है (यह 10 कारोबार दिन की धारण अवधि तथा दैनंदिन बाजार दर पर मूल्यांकन पर भी आधारित होगा ।)

vii) ऐसे लेनदेन में जहां बैंकों के एक्सपोजर की रेटिंग नहीं की गयी है अथवा बैंक अपात्र लिखत (अर्थात् गैर-निवेश ग्रेड कंपनी प्रतिभूतियाँ) उधार देता है वहां एक्सपोजर पर लागू किया जानेवाला हेयरकट 25 प्रतिशत होना चाहिए। (चूंकि वर्तमान में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो की अनुमति दी जाती है, इसलिए बैंकों के पास ऐसा कोई एक्सपोजर होने की संभावना नहीं है, जिस पर इस खंड के प्रावधान लागू होंगे । तथापि, यह तब प्रासंगिक होगा जब भविष्य में यदि रेट न की गयी कंपनी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो/प्रतिभूति उधार लेनदेन की अनुमति दी जाती है।)

viii) जहां संपार्श्विक परिसंपत्तियों का समूह है, उस समूह पर हेयरकट होगा

$$H = \sum_i aiHi$$

जिसमें ai समूह में परिसंपत्ति का भार (परिसंपत्ति की राशि/मूल्य की मुद्रा की यूनिटों में की गई गणना के अनुसार) है तथा Hi उस परिसंपत्ति पर लागू हेयरकट है ।

ix) विभिन्न धारण अवधि के लिए समायोजन

पुनर्मूल्यांकन तथा पुनः मार्जिन करने की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के स्वरूप तथा बारंबारता के अनुसार कुछ लेनदेन के लिए विभिन्न धारण अवधि (10 कारोबार दिन के अलावा) उपयुक्त होती है। संपार्श्विक हेयरकट के ढांचे में रिपो-प्रकार के लेनदेन (अर्थात् रिपो /रिवर्स रिपो तथा प्रतिभूति उधार देना /उधार लेना) "अन्य पूंजी-बजार प्रेरित लेनदेन" (अर्थात् काउंटर पर डेरिवेटिव के लेनदेन तथा मार्जिन ऋण) तथा जमानती ऋण के बीच

फर्क किया गया है। पूंजी बाजार प्रेरित लेनदेन तथा रिपो-प्रकार के लेनदेन के प्रलेखीकरण में पुनः मार्जिन करने के संबंध में शर्तें होती हैं; जमानती उधार लेनदेन में सामान्यतः ऐसी शर्तें नहीं होती हैं। इन लेनदेनों के मामले में विभिन्न धारण अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम धारण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी :

लेनदेन प्रकार	न्यूनतम धारण अवधि	शर्त
रिपो प्रकार के लेनदेन	पांच कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
अन्य पूंजी बाजार लेनदेन	दस कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
जमानती ऋण	बीस कारोबार दिन	दैनिक पुनर्मूल्यांकन

उपर्युक्त के अनुसार 10 कारोबार दिन की न्यूनतम धारण अवधि को छोड़कर अन्य धारण अवधि वाले लेनदेन के लिए हेयरकट को नीचे पैरा 7.3.7 में दिए गए फार्मुला के अनुसार सारणी - 14 में 10 कारोबार दिन के लिए निर्दिष्ट हेयरकट को ऊपर / नीचे लाकर समायोजित करना होगा।

x) बाजार दर पर गैर- दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन व्यवस्था के लिए समायोजन :

यदि मान लिए गए दैनिक मार्जिन से किसी लेनदेन की मार्जिन की बारंबारता भिन्न है तो उस लेनदेन पर लागू होनेवाले हेयरकट को भी नीचे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मुला का प्रयोग करते हुए समायोजित करना आवश्यक होगा।

xi) विभिन्न धारण अवधि तथा /अथवा बाजार दर पर गैर-दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन करने के समायोजन के लिए फार्मुला

उपर्युक्त (ix) तथा (x) में निर्दिष्ट धारण अवधि तथा मार्जिन व्यवस्था /बाजार दर पर मूल्यांकन में भिन्नता के लिए निम्न फार्मुला के अनुसार समायोजन किया जाएगा :

$$H=H_{10} \sqrt{\frac{N_R+(T_M-1)}{10}}$$

जहां :

H = हेयरकट;

H₁₀ = लिखत के लिए 10 कारोबार दिन का मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

N_R = पूंजी बाजार लेनदेन के लिए पुनः मार्जिन करने अथवा प्रतिभूतीकृत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच कारोबार के दिनों की वास्तविक संख्या।

T_M = लेनदेन के प्रकार के लिए न्यूनतम धारण अवधि

उद्धरण समाप्त.

निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ दिया जाए :

उद्धरण :

7.3.8 रिपो/रिवर्स रिपो-प्रकार के लेनदेन के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा

रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी प्रभार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।

क. निधियों के उधारकर्ता की बहियों में कार्रवाई

- i) जहां बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचकर/उधार देकर/संपाश्विक के रूप में दर्ज करके निधि उधार ली है वहां 'एक्सपोजर' उचित हेयरकट लागू करने के बाद बेची/उधार दी गई प्रतिभूतियों के बढ़ाए गए 'बाजार मूल्य' के समतुल्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर होगा। इस प्रयोजन के लिए सारणी-14 के अनुसार हेयरकट का आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि रिपो-प्रकार के लेनदेन के लिए पांच कारोबार दिनों की न्यूनतम (निर्धारित) धारण अवधि तथा मानक पर्यवेक्षी हेयरकट के लिए मानी गयी दैनिक मार्जिन व्यवस्था की तुलना में पुनः मार्जिन व्यवस्था की बारंबारता में कोई फर्क हो तो उसका ध्यान रखा जाए। "तुलनपत्रेतर एक्सपोजर" को परिपत्र की सारणी 8 की मद सं. 5 के अनुसार 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक लागू करके 'तुलन पत्र' समतुल्य में परिवर्तित किया जाएगा।
- ii) प्राप्त राशि को उधार/बेची/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के लिए संपाश्विक के रूप में समझा जाएगा। चूंकि संपाश्विक नकद है, इसलिए उसके लिए शून्य हेयरकट होगा।
- iii) उपर्युक्त (i) पर प्राप्त ऋण समतुल्य राशि में से नकद संपाश्विक की राशि को घटाकर जो राशि प्राप्त होगी उसपर प्रतिपक्ष पर लागू होने वाला जोखिम भार लागू होगा।
- iv) चूंकि रिपो अवधि के बाद प्रतिभूतियां उधार लेनेवाले बैंक की बहियों में वापस आ जाएंगी इसलिए उक्त बैंक उन मामलों में जहां रिपो से संबद्ध प्रतिभूतियां परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी जाती हैं, उन प्रतिभूतियों के ऋण जोखिम के लिए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध/खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के मामले में बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखना जारी रखेंगे। जोखिम/विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार पूंजी प्रभार निर्धारित किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में ऋण/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार 'शून्य' होगा।

निधि के उधारदाता की बहियों में कार्रवाई

- i) उधार दी गई राशि को प्रतिपक्ष पर तुलन पत्र में/निधिक एक्सपोजर समझा जाएगा जिसे रिपो के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विकीकृत किया गया है ।
- ii) एक्सपोजर नकद होने के कारण उसपर शून्य हेयरकट लागू होगा ।
- iii) संपार्श्विक को यथालागू हेयरकट के अनुसार नीचे समायोजित किया जाएगा/उसका मूल्य घटाया जाएगा ।
- iv) संपार्श्विक की समायोजित राशि द्वारा घटाए गए एक्सपोजर की राशि पर प्रतिपक्ष पर यथालागू जोखिम भार लागू किया जाएगा क्योंकि यह तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर है ।
- v) रिपो अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति के लिए उधारदाता बैंक कोई पूंजी प्रभार नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा संपार्श्विक उसके तुलनपत्र में शामिल नहीं है बल्कि उसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है ।

(उदाहरण के लिए कृपया इस परिपत्र के परिशिष्ट-5 का भाग ख देखें)

उद्धरण समाप्त

परिशिष्ट - 4

(अनुबंध की क्रम सं. 16 देखें)

27 अप्रैल 07 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.01.006/2006-07 में मौजूदा पैराग्राफ सं. 8.3.1 से 8.3.6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

उद्धरण आरम्भ :

भाग ख

8.3 ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की माप

8.3.1 इस भाग में ट्रेडिंग बही में ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य ब्याज दर संबद्ध लिखतों को धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम की माप करने की प्रणाली का वर्णन किया गया है ।

8.3.2 ब्याज दर संबद्ध लिखतों के लिए पूंजी प्रभार बैंक की ट्रेडिंग बही में इन मदों के वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। चूंकि बैंकों को बाजार जोखिमों के लिए निरंतर आधार पर पूंजी रखना आवश्यक है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे दैनिक आधार पर अपनी ट्रेडिंग पोजिशन का बाजार दर पर मूल्यांकन करें । वर्तमान बाजार मूल्य, निवेशों के मूल्यांकन संबंधी रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

8.3.3 न्यूनतम पूंजी अपेक्षा दो अलग-अलग आकलित किए जाने वाले प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती है (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए "**विनिर्दिष्ट जोखिम**" प्रभार जिसे शॉर्ट पोजिशन (भारत में डेरिवेटिव के अलावा शॉर्ट पोजिशन की अनुमति नहीं दी जाती है) तथा लॉग पोजिशन दोनों के लिए, एकल जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से एकल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है, तथा (ii) ऐसे संविभाग में ब्याज दर जोखिम के लिए "**सामान्य बाजार जोखिम**" प्रभार जिसमें विभिन्न

प्रतिभूतियों या लिखतों में लॉग और शॉर्ट पोज़िशन (जो कि भारत में डेरिवेटिव के अलावा अन्य में अनुमति नहीं दी गई है) प्रतिसंतुलित की जा सकती है।

8.3.4 बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित ऋण प्रतिभूतियों के लिए संभाव्य लंबी धारण अवधि तथा उससे संबद्ध उच्चतर विनिर्दिष्ट जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक बाजार जोखिम के लिए नीचे 'क' अथवा 'ख' में से जो भी अधिक है, उसके बराबर कुल पूंजी प्रभार रखेंगे।

- क) खरीद बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित मानते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कल्पित रूप से अभिकलित विनिर्दिष्ट पूंजी प्रभार (सारणी-16 : यथालागू भाग क/ग/ड के अनुसार अभिकलित) तथा सामान्य बाजार जोखिम पूंजी प्रभार का योग।
- ख) बैंकिंग बही में धारित मानकर बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के लिए कल्पित आधार पर अभिकलित वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार (सारणी-16 : यथालागू भाग ख/घ/च के अनुसार अभिकलित)

विनिर्दिष्ट जोखिम

8.3.5 किसी एक जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से किसी एकल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के एक्स्पोजर के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार निम्नानुसार लागू किए जाएंगे:

क्रम सं.	ऋण प्रतिभूतियों/जारीकर्ता का स्वरूप	निम्नलिखित सारणी का अनुपालन करें
क.	<u>केंद्र, राज्य तथा विदेशी केंद्र सरकार के बॉण्ड</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग क सारणी 16 - भाग ख
ख.	<u>बैंक बॉण्ड</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ग सारणी 16 - भाग घ
ग.	<u>कंपनी बॉण्ड तथा प्रतिभूतिकृत ऋण</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ड सारणी 16 - भाग च

सारणी 16 - भाग - क

**भारतीय तथा विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गई सम्प्रभु प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी
प्रभार - बैंकों द्वारा खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित**

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोजर के % के रूप में)
क	भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें		
1.	केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
3.	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	0.0
5.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
ख	विदेशी केंद्र सरकारें		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
3.	बीबी से बी	सभी	9.00
4.	बी से कम	सभी	13.50
5.	रेटिंग नहीं की गई	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ख

भारतीय और विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गयी
प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार - बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी
के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियां

क्र. सं.	निवेश का स्वरूप	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोजर के % के रूप में)
क.	भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें		
1.	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
3.	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	1.80
4.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है	सभी	0.00
5.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	1.80
ख.	विदेशी केंद्र सरकार		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए	सभी	1.80
3.	बीबीबी	सभी	4.50
4.	बीबी से बी	सभी	9.00
5.	बी के नीचे	सभी	13.50
	रेटिंग न की गयी	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ग

बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए
विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार - खरीद बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा रखे गये
बांड

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार			
		सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)	
		पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
9 और उससे ऊपर	6 माह या उससे कम	1.40	0.28	1.40	1.40
	6 माह से अधिक और 24 माह तक एवं उसके सहित	5.65	1.13	5.65	5.65
	24 माह से अधिक	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और उससे अधिक तथा 3 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	31.50	13.50	56.25	31.50
ऋणात्मक	सभी परिपक्वता अवधि	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

टिप्पणियां

- i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोजर के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।
- ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता। फिर भी, उक्त सारणी के स्तंभ 3 और 5 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

भाग 16 - भाग घ

बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए
वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार - बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित

(पैरा 8.3.4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन)

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार			
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)	
	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
9 और उससे ऊपर	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और उससे अधिक तथा 3 से कम	31.50	13.50	56.25	31.50
ऋणात्मक	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

टिप्पणियां

- i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोजर के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।
- ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता। फिर भी, उक्त सारणी के स्तंभ 3 और 5 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

सारणी - 16 भाग - ड

कंपनी बांडों और प्रतिभूतीकृत ऋण लिखतों (बैंक के बांडों को छोड़कर) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार - खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा रखे गए लिखत

*ईसीएआई द्वारा रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार		
		कंपनी बांड (प्रतिशत में)	प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (प्रतिशत में)	वाणिज्य स्थावर संपदा एक्सपोजरों से संबद्ध प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (एसडीआइ) (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
एएए से बीबीबी	6 माह और उससे कम	0.28	0.28	0.56
	6 माह से अधिक और 24 माह तक	1.14	1.14	2.28
	24 माह से अधिक	1.80	1.80	3.60
बीबी	सभी परिपक्वता अवधि	13.50	31.50	36.00
बी तथा उसके नीचे	सभी परिपक्वता अवधि	13.50	कटौती	कटौती
रेटिंग न किए (यदि अनुमत हो)	सभी परिपक्वता अवधि	13.50 @	कटौती	कटौती

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा "-" परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

@ यदि निवेश की गयी राशि पैरा 5.8.2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है तो पूंजी प्रभार 9 प्रतिशत होगा।

सारणी 16 - भाग च

विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार
कंपनी बांड और प्रतिभूतीकृत ऋण लिखत (एसडीआइ)
(बैंक के बांडों को छोड़कर) - बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित

(पैरा 8.3.4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन)

*ईसीएआई द्वारा रेटिंग	कुल पूंजी प्रभार		
	कंपनी बांड (प्रतिशत में)	प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (प्रतिशत में)	वाणिज्य स्थावर संपदा एक्सपोजरों से संबद्ध प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (एसडीआइ) (प्रतिशत में)
1	3	4	5
एएए	1.80	1.80	4.50
एए	2.70	2.70	6.75
ए	4.50	4.50	9.00
बीबीबी	9.00	9.00	13.50
बीबी	13.50	31.50 (प्रवर्तक के मामले में कटौती)	36.00 (प्रवर्तक के मामले में कटौती)
बी तथा उसके नीचे	13.50	कटौती	कटौती
रेटिंग न किए (यदि अनुमत हो)	13.50	कटौती	कटौती

ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा "-" परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

8.3.6 बैंक उक्त पैरा 5 में वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी के भाग के रूप में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम प्रभार की गणना करने के अलावा 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र के अनुबंध 5 के अनुसार यथापेक्षित ट्रेडिंग बही में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार की गणना करें।

उद्धरण समाप्त

27 अप्रैल 07 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.01.006/2006-07 के विद्यमान
'अनुबंध-4' के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

उद्धरण

"अनुबंध - 4"

भाग - क

**ऋण जोखिम कम करने के संबंध में उदाहरण (देखें पैरा 7.3.6)
(ऋण एक्सपोजर)**

संपार्श्विकृत लेनदेनों के लिए एक्सपोजर राशि की गणना

$$E^* = \max \{ O, [E \times (1+H_e) - C \times (1-H_C - H_{fx})] \}$$

जहां

E^* = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर का मूल्य

E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य

H_e = एक्सपोजर के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य

H_C = संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयरकट

H_{fx} = संपार्श्विक और एक्सपोजर के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

क्र.सं.	विवरण	मामला 1	मामला 2	मामला 3	मामला 4	मामला 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	एक्सपोजर	100	100	100	100	100
2	एक्सपोजर की परिपक्वता अवधि	2	3	6	3	3
3	एक्सपोजर का स्वरूप	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण
4	मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये	अमेरिकी डालर	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये
5	रुपये में एक्सपोजर	100	100	4000 (पंक्ति 1 x विनिमय दर ##)	100	100
6	एक्सपोजर की रेटिंग	बीबी	ए	बीबीबी -	एए	बी-
	लागू जोखिम भार	150	50	100@	30	150
7	एक्सपोजर* के लिए हेयरकट	0	0	0	0	0
8	संपार्श्विक	100	100	4000	2	100
9	मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये	अमेरिकी डालर	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये

10	रुपये में संपार्श्विक	100	100	4000	80 (पंक्ति 1 x विनिमय दर)	100
11	संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष)	2	3	6	3	5
12	संपार्श्विक का स्वरूप	सरकारी (भारत सरकार) प्रतिभूति	बैंक बांड	कंपनी बांड	विदेशी कंपनी बांड	म्युच्युअल फंड के यूनिट
13	संपार्श्विक की रेटिंग	लागू नहीं	रेटिंग नहीं की गयी	बीबीबी	एएए (एस एंड पी)	एए
14	संपार्श्विक के लिए हेयरकट (%)	0.02	0.06	0.12	0.04	0.08
15	मुद्रा विसंगति के लिए हेयरकट (%) [देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (vi)]	0	0	0.08	0.08	0
16	संपार्श्विक पर कुल हेयरकट {10वीं पंक्ति X (14वीं + 15वीं पंक्ति)}	2	6	800	9.6	8
17	हेयरकट के बाद संपार्श्विक (10वीं पंक्ति - 16वीं पंक्ति)	98	94	3200	70.4	92
18	निवल एक्सपोजर (पंक्ति 5 - पंक्ति 17)	2	6	800	29.6	8
19	जोखिम भार (%)	150	50	100@	30	150
20	जोखिम भारित परिसंपत्ति (पंक्ति 18 x 19)	3	3	800	8.88	12

1 अमरीकी डॉलर = 40 रु. विनिमय दर माना गया है ।

लागू नहीं

@ परिपत्र के पैरा 6.4.2 के अनुसार दीर्घावधि रेटिंग के मामले में जहां रेटिंग के साथ "+" अथवा "-" नोटेशन है वहां तदनुसूची मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का प्रयोग किया जाना है । अतः जोखिम भार 100% है ।

(* एक्सपोजर के लिए हेयरकट शून्य लिया गया है क्योंकि ऋण बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किये जाते हैं और अतः वे अस्थिर नहीं हैं ।

मामला 4 : हेयरकट सारणी-14 के अनुसार लागू

मामला 5 : यह मान लिया गया है कि म्युच्युअल फंड पैरा 7.3.5 (viii) में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करते हैं और उनके ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश हैं जिनकी 5 वर्ष से अधिक परिपक्वता शेष है और जो एए अथवा उससे अधिक रेटिंग वाले हैं जिन पर परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू किया जाएगा ।

भाग - ख

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी प्रभार की गणना संबंधी उदाहरण - रिपो लेनदेन

बासेल II के अधीन आधारभूत प्रतिभूति के लिए ऋण/बाजार जोखिम तथा प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार सहित रिपो लेनदेन के लिए कुल पूंजी प्रभार की गणना दर्शानेवाला एक उदाहरण नीचे दिया गया है :

क. रिपो लेनदेन के विवरण

यह मान लिया जाए कि एक परिकल्पित रिपो लेनदेन के निम्नलिखित परिमाण हैं :

प्रतिभूति का प्रकार	भारत सरकार की प्रतिभूति
अवशिष्ट परिपक्वता	5 वर्ष
कूपन	6%
वर्तमान बाजार मूल्य	1050 रु.
उधार ली गयी नकदी	1000 रु.
प्रतिभूति की आशोधित अवधि	4.5 वर्ष
मार्जिन करने की परिकल्पित बारंबारता	दैनिक
प्रतिभूति के लिए हेयरकट	2% (देखें परिपत्र की सारणी 14 मद क (i))
नकदी पर हेयरकट	शून्य (देखें परिपत्र की सारणी 14 की मद ग)
न्यूनतम धारण अवधि	5 कारोबारी दिन (देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (ix))
सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए प्रतिफल में परिवर्तन	0.7% वार्षिक (देखें परिपत्र की सारणी 17 का क्षेत्र 3)

ख. आधारभूत प्रतिभूति के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) और ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार सहित कुल पूंजी प्रभार की गणना

ख 1. निधि उधार लेनेवाले की बहियों में (रिपो के अधीन प्रतिभूति को उधार दिए जाने के कारण तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए)

(इस मामले में उधार दी गई प्रतिभूति उधार देनेवाले का एक्सपोजर है, जबकि उधार ली गयी नकदी संपार्श्विक है।)

क्रम सं.	मद	विवरण	राशि (रु. में)
क.	सीसीआर के लिए पूंजी प्रभार		
1.	एक्सपोजर	प्रतिभूति का बाजार मूल्य	1050
2.	एक्सपोजर के लिए सीसीएफ	100%	
3.	तुलनपत्र में ऋण समतुल्य	1050* 100%	1050
4.	हेयरकट	1.4% @	
5.	परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट समायोजित करने के बाद एक्सपोजर	1050* 1.014	1064.70
6.	उधार दी गई प्रतिभूति के लिए संपार्श्विक	नकदी	1000
7.	एक्सपोजर के लिए हेयरकट	0%	
8.	हेयरकट समायोजित करने के बाद संपार्श्विक	1000* 1.00	1000
9.	निवल एक्सपोजर (5-8)	1064.70 - 1000	64.70
10.	जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर - अनुपालक बैंक के लिए)	20%	
11.	सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां	64.70* 20%	12.94
12.	सीसीआर के लिए पूंजी प्रभार (11 X 9%)	12.94* 0.09	1.16
ख.	प्रतिभूति के ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी		
1.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्व होने तक रखी जाती है।)	ऋण जोखिम	शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण)
2.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति 'बिक्री के लिए उपलब्ध'/'व्यापार के लिए रखी गयी' के तहत रखी जाती है)	विनिर्दिष्ट जोखिम	शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण)
		सामान्य बाजार जोखिम (4.5* 0.7%* 1050) {आशोधित अवधि* परिकल्पित प्रतिफल परिवर्तन (%) * प्रतिभूति का बाजार मूल्य}	33.07
कुल अपेक्षित पूंजी (सीसीआर + ऋण जोखिम + विनिर्दिष्ट जोखिम + सामान्य बाजार जोखिम)			34.23

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए 2% का पर्यवेक्षी हेयरकट कम किया गया है।

ख. 2 निधि उधार देनेवाले की बहियों में (रिपो के अधीन निधि उधार दिये जाने के कारण तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर के लिए)

(इस मामले में उधार दी गई नकदी एक्सपोजर है और उधार ली गयी प्रतिभूति संपाश्विक है)

क्र. सं.	मद	विवरण	राशि (रुपयों में)
क.	सीसीआर के लिए पूंजी प्रभार		
1.	एक्सपोजर	नकदी	1000
2.	एक्सपोजर के हेयरकट	0%	
3.	परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट समायोजित करने के बाद एक्सपोजर	1000 * 1.00	1000
4.	उधार दी गई नकदी के लिए संपाश्विक	प्रतिभूति का बाजार मूल्य	1050
5.	संपाश्विक के लिए हेयरकट	1.4 % @	
6.	हेयरकट समायोजित करने के बाद संपाश्विक	1050 * 0.986	1035.30
7.	निवल एक्सपोजर (3 - 6)	अधिकतम {1000 -1035.30}	0
8.	जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर - अनुपालक बैंक के लिए)	20%	
9.	सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां (7 x 8)	0* 20 %	0
10.	सीसीआर के लिए पूंजी प्रभार	0	0
ख.	प्रतिभूति के ऋण /बाजार जोखिम के लिए पूंजी		
1.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्वता तक रखी जाती है)	ऋण जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं
2.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति 'बिक्री के लिए उपलब्ध' / 'व्यापार के लिए रखी गयी' के अधीन रखी जाती है)	विनिर्दिष्ट जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं
		सामान्य बाजार जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए पर्यवेक्षी हेयरकट 2% कम किया गया है।

उद्धरण समाप्त ।